झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

<u>अधिसूचना</u>

राँची, दिनांकः– 21/10/24

सं०सं०–15/सा०अव०–03–03/2024 का० –6979 झारखण्ड राज्य में विधान सभा आम चुनाव, 2024 के मतदान की तिथि को संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–135(ख) के निम्नांकित प्रावधानों का अनुपालन किया जाना हैः–

"1. किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य के विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।

2. उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी, और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर ना किये जाने की दशा में दी गयी होती।

3. यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधो का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकती है।"

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार सभी निर्वाचक जो प्रतिष्ठानों और दुकानों के कर्मचारी हैं, जिनमें शिफ्ट के आधार पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, उन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा, जहाँ विधान सभा के आम चुनाव आयोजित होने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है, वह सामान्य मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित किसी औद्योगिक उपक्रम या प्रतिष्ठान में सेवारत या नियोजित हो सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्य करने वाले श्रमिक मतदाता भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख(1) के तहत सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे। दैनिक वेतनभोगी/अनौपचारिक कर्मचारी भी मतदान के दिन अवकाश और वेतन के हकदार होंगे।

सभी संबंधित प्राधिकारों को निदेश दिया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

21/10/2024

(आसिफ हसन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/सा०अव०–03–03/2024 का०– 6979 राँची, दिनांक– 21/10/24

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

21/10/2024

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/सा०अव०–03–03/2024 का०– 6979 राँची, दिनांक– 21.10.24

प्रतिलिपि– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे प्रेस–विज्ञप्ति के रूप में मोटे अक्षरों में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाय।

21/10/2024

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/सा०अव०–03–03/2024 का०– 6979 राँची, दिनांक– 21/10/24

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/सचिव, गृह मंत्रालय/कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), जीवन दीप, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली/मुख्य आयकर आयुक्त, झारखण्ड, रांची/आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, झारखण्ड, रांची/सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के झारखण्ड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक/उप प्रबंधक/भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड, रांची/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आकाशवाणी, रांची/दूरदर्शन, रांची/जेनरल इन्स्योरेंस कम्पनी, रांची/मंडल रेल प्रबंधक, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सभी जिलों के उपायुक्त से अनुरोध है कि इसे अपने अधीनस्थ प्राधिकारों को परिचारित करें।

21/10/2024

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/सा०अव०–03–03/2024 का०– 6979 राँची, दिनांक– 21/10/24

प्रतिलिपि– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी–सह–सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड को उनके पत्रांक–5489 दिनांक–15.10.2024 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/10/2024

सरकार के संयुक्त सचिव।